राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांकः प.6(21)प्र.सु./अनु.3/2019

जयपुर, दिनांकः 04-06-2019

आदेश

सचिव महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 16.10.2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8(11)/एससीएसपी/पीएमएजीवाई/सान्याअवि/ 2018/6140-6205 दिनांक 03.01.2019 द्वारा जारी किये गये निर्देश की जिला स्तर पर उक्त योजना में समिति नही होने के कारण विभाग में चल रही संबल ग्राम विकास योजना के दिशा-निर्देश दिनांक 23.02. 2015 के बिन्दु संख्या 14 के अनुसार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति जिला स्तर पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दिशा-निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करेगी। उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों पर अतिक्रमण करते हुए योजना के सफल संचालन, प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग एवं निगरानी करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से संबंधित जिले के जिला कलक्टर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दिशा-निर्देश अक्टूबर, 2018 के बिन्दु संख्या 16 के अनुबंध ix (ख) के अनुसार जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन एतद द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.स.	समिति में शामिल सदस्य	पद
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	i. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। ii. उप निदेशक/सहायक निदेशक महिला और बाल विकास विभाग। iii. उप निदेशक/सहायक निदेशक शिक्षा विभाग। iv. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग। v. अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। vi. अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग। vii. अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग। viii.जिला रसद अधिकारी खाद्य आपूर्ति विभाग। ix. अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण एवं प्रसारण निगम लि0। x. सहायक निदेशक कृषि विभाग। xi. अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता विद्युत/डिस्कॉम। xii. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। xiii. अन्य संबंधित विभाग, यदि कोई हो, के जिला स्तरीय अधिकारी।	सदस्य
3	उन गांवो के ग्राम पीएमएजीवाई कार्यक्रम निदेशक जिनके गांवों को कवर किया जा रहा है	सदस्य
4	दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल के प्रतिनिधि	
5	जिला के संयोजक बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
6	राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रतिनिधि।	सदस्य
7	जिला स्तर पर उप निदेशक/ सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

D:\backup\Bhargava\Order Committee Year 2019.docx

जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित जिले के चिन्हित ग्रामों के सर्वागिण विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य प्रवर्तित संचालित योजनाओं को लागू करनें एवं उनके पर्यवेक्षण, मॉनीटरिंग, मार्ग-दर्शन एवं निगरानी के लिए प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दिशा-निर्देशों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार प्रपत्र I to VIII के अनुसार करेगी। जिला अभिसरण समिति कार्यो की स्वीकृति प्रदान करेंगी। प्रत्येक माह में एक बार बैठक का आयोजन करेंगी। समिति का कार्य काल स्थायी होगा। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से

4/6/19

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव
जयपुर, दिनांकः

क्रमांकः प.6(21)प्र.सु./अनु.3/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामिण विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, संबंधित अति. मुख्य सचिव,.......................विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, संबंधित प्रमुख शासन सचिव,.......................विभाग राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, संबंधित शासन सचिव,.......................विभाग राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयुपर।
10. जिला कलक्टर, डुंगरपुर एवं प्रतापगढ को छोडकर समस्त राजस्थान।
11. समस्त विभागाध्यक्ष।
12. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
13. अति निदेशक, एससीएसपी, मुख्यालय।
14. अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) मुख्यालय।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) समस्त राज0।
16. उप निदेशक/सहायक निदेशक महिला और बाल विकास विभाग
17. उप निदेशक/सहायक निदेशक शिक्षा विभाग।
18. मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग।
19. अधिशाषी अभियन्ता जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
20. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग।
21. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग।
22. जिला रसद अधिकारी खाद्य आपूर्ति विभाग।
23. अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण एवं प्रसारण निगम लि0।
24. सहायक निदेशक कृषि विभाग।
25. अधिशाषी अभियन्ता विद्युत/डिस्कॉम।
26. उपनिदेश/सहायक निदेशक सान्याअवि, समस्त।
27. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
28. प्रतिनिधि संबंधित संस्था।
29. राज्य के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि।
30. जिला पीएमजीएवाई कार्यक्रम निदेशक।
31. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं.8П()एसीएसपी/पीएमएजीवाई/सान्याअवि/2019/9433.

4/6/19

(के.के.खण्डेलवाल)
सहायक शासन सचिव

D:\backup\Bhargava\Order Committee Year 2019.docx